न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (कवर्धा) छत्तीसगढ़

सत्र प्रकरण क्रमांक 45/2022

छ0ग0 शासन //विरूद्ध // **तिरीथ चतुर्वेदी वगैरह**

–: आरोप पत्र :–

मैं श्रीमती नीता यादव, सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (छ.ग.) आप **अभियुक्त नारायण पाठक पिता कैलाश पाठक, उम्र 23 वर्ष, साकिन सोनबरसा, थाना पिपरिया, जिला कबीरधाम (छ०ग०)** पर निम्न आरोप लगाती हूं कि –

01) आपने दिनांक 20.06.2022 को रात्रि 12:30 बजे मुकाम चिल्फी घाटी, थाना चिल्फी, जिला कबीरधाम (छ०ग०) में स्थित नागमोरी मोड़ के पास प्रार्थी अरविंद कुमार से लूट कारित करते हुए प्रार्थी को घातक आयुध पिस्टल का उपयोग कर घोर उपहति कारित कर प्रार्थी से 4,500/–रू. लूटा और इसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो **भारतीय दण्ड संहिता की धारा 397** के तहत दण्डनीय है और इस न्यायालय के संज्ञान में है।

02) आपने उसी दिनांक, समय एवं स्थान पर घातक आयुध पिस्टल को वैध अनुज्ञप्ति के बिना घातक आयुध को अपने कब्जे में रखा। आपका उक्त कृत्य **आयुध अधिनियम की धारा–25** अंतर्गत दंडनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है।

03) आपने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर घातक आयुध पिस्टल को विधि विरूद्ध उपयोग किया। आपका उक्त कृत्य **आयुध अधिनियम की धारा–27** के अंतर्गत दंडनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है।

अतएव मैं आदेशित करती हूं कि आपके विरूद्ध उक्त आरोप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जावे।

NITA YADAV
Digitally signed by NITA YADAV
Date: 2022.11.21 15:27:07 +0530

दिनांकः– 21/11/2022

(श्रीमती नीता यादव)
सत्र न्यायाधीश
कबीरधाम (छ०ग०)

अभियुक्त का अभिवाक्

अभियुक्त को आरोप पत्र पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसका अभिवाक् है कि –

NITA YADAV Digitally signed by NITA YADAV Date: 2022.11.21 15:27:15 +0530

(श्रीमती नीता यादव)
सत्र न्यायाधीश
कबीरधाम (छ०ग०)